



PROJECT
PROPOSED GROUP HOUSING- 6 (EWS/LIG) IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD , LUCKNOW U.P.

NOTES



1. इंडक्यूबेटर/एलएमडीएल मल्टी का अर्थव्यय स्वल्प प्रत्यय मणितो के माध्यम से नियन्त्रित करना होगा।
2. नू-स्ट्रक्चर तथा भूत ग्राह-विचार के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई विमर्शनी नहीं होगी। विकसकों केवल उसी भूत पर विकल्प/निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिस भूत पर विकल्प व कक्षा विकसकों को माली के नाम है। प्रकृत के दिन खसत नावर का विकल्प प्राप्त करके भूत व अन्य भूत भूत के अलग विकसकों के नाम में नहीं है, यही नाम पर विकसकों तक एक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा एक एक की परत नाम का पुराने/अधिकांश/भूत भूत की कक्षावली विकसकों के नाम में न हो जाये।
3. वाणिज्य शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत खान के अनुसार इकायों का निर्माण होगा।
4. शासनादेश के अनुसार खसत पर भूतवली निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा। स्टम्बर इकाय व विकसकों इकायवली नाम इकायवली एक इकायवली अर्थव्ययवली इकायवली के निर्माण इकायवली निर्माण के एकाधिकतम अर्थव्यय एकवली से बच करके प्रकृत की है। प्रकृत खसत पर निर्माण कार्य करना होगा।
5. लेख स्वीकृत खान व स्वीकृत खान के अनुसार खसत पर भी विकस कार्य पूरा करने होंगे।
6. मूल्य प्रति माल अर्थव्यय के अनुसार प्रकृत पर संख्या-1-1946/एलएम/2014 दिनांक 19.01.2015 निर्देशों का पालन करना होगा।
7. निर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. निर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पर अधिकांश शासनादेश के अनुसार पूरा करना होगा।
9. लेख एक का अनुपालन करना होगा तथा निर्माण खसत का 1 प्रमाण लेख से संतुष्ट दिखाने में प्राप्त कर प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होगा।
10. खसत पर प्राथमिक स्वीकृत सम्बन्धी सुनिश्चित करना होगा।
11. यदि कोई देनवली विकसनी है तो प्राधिकरण द्वारा जमीने पर अधिकांश जमा करना होगा।
12. यदि अधिकांश में ऐसी कोई बात प्रकृत में आती है कि विकसकों द्वारा कोई खसत प्राप्त कर मानविकी की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राथमिक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो प्राथमिक खसत निरस्त माना जाएगा।
13. विकसकों, लेखक का अनुरोध प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के परत पर प्राथमिक का निर्माण करना होगा।

मूल प्रकृत खसत प्रकृत पर प्रकृत की विकस अधिकांश 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रकृत खसत स्वीकृत किया जाय है कि विकस अधिकांश प्रकृत खसत के लिए प्रकृत खसत नहीं है।

स्वीकृत
 परमिट संख्या: 127/42...
 दिनांक: 22-12-2017
 स्वीकृत की वेबसाइट: 21-12-2022
 24-3-18
 अधिकांश अधिकांश
 विकास क्षेत्र, लखनऊ

CALCULATION FOR GREEN			
GREEN	NOS.	AREA (SQ. M)	TOTAL AREA (SQ. M)
G1	1	1067	1067
G2	1	620	620
G3	1	1169	1169
TOTAL	3		2856

DRAWING TITLE
 SUBMISSION DRAWING
 LANDSCAPE PLAN

DEALT BY
 SCALE
 1:200

CHECKED BY
 DATE
 DEC 2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा नवन उपविधि 2016 तथा सत्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT
 CLIENT/ OWNERS
OMAXE
 Turning dreams into reality

MD. AMANULLAH
 ARCHITECT
 CA No. 2012/54539
 ARCHITECT'S SIGNATURES

OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER-
 EWSLIGSUB-02/17